

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	अहकार तामी
२७ $\frac{५}{१८}$	पत्रावली आज्ञापत्रा हुक्म वकील प्राधी उप/ लोक अदालत की भावना से रिस्लाहा हेतु पत्रावली दिनांक ५-६-१८ कोर्ट के मय वहारिया में पेश हुई	
२१-६-१८	<p> ५-६-१८ का लोक अदालत कोर्ट के मय निरस्का कर २१-६-१८ निश्चित किया जाने पर पत्रावली आज्ञा अटलासेवा के उ वहारिया में पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्राधी ने कोर्ट वस्लावेपाल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की स्थिति लहरीलकार चौधरी पर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शक्ति पत्रावली किया गया। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है की प्राधीपान के पिता एवं अग्रणी सगुलागाम १० के पिता की संयुक्त खालदारी की भूमि गाम गजदवास के खस ६९१, ६९०, ६८९, ६९२, ६९३, ६९४ किला ०६ २६ का ८ कीटा १ विस्वा की जिसमें श्री श्री शशिधरामपुं लोटड्या नरि का भी १/४ हिस्सा था शशिधरामपुं लोटड्या नरि द्वारा पंजीकृत विस्वपत्रके १९८२ में उक्त संयुक्त खालदारी भूमि में से खस ६९१ २६ का २ कीटा १८ विस्वा में उसके १/४ हिस्से का बचान श्री मोपिरामपुं सावल्या जालि मीना को कर दिया। इस पंजीकृत विस्वपत्रके आधार हुक्म ट्रांसमन को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने हेतु नंबर ३८७ दर्ज कर मिठिल किया गया इस नामान्तरकरण अनुसार श्री खस ६९१ २६ का २ कीटा १८ विस्वा में श्री शशिधराम पुं लोटड्या १/४ के स्थान पर श्री मोपिराम पुं सावल्या कानकीन अकेल स्कीकार किया गया परन्तु सवेत २०३५ से २०३८ की जमबंदी गाम गजदवास में इस नामान्तरकरण का नोट अंकित करते वकाल खस ६९१ का अकेल नहीं किया गया अपितु सीधे ही अंकित कर दिया गया कि शशिधरामपुं लोटड्या का टिप मोपिरामपुं सावल्या के स्कीकार हुआ। इस नोट के आधार पर जागामी जमबंदी सवेत २०३९ से २०४२ में खस ६९१ २६ का २ कीटा १८ विस्वा सम्पूर्ण </p>	

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीर मे जारी हुए</p>
	<p>मौजीराम फि.मु.सावलया के नाम अंकित हो गया सावित्र खस 691 के नवीन ख.स 702, 703, 704, 705, 706, 703/1867 कुल बिता 6 रकब 0.74 हेक्टर बने थे जो वलमान रिपोर्ट में मौजीराम फि.मु.सावलया के नाम अंकित है। वलमान रिपोर्ट में ख.स 704, 705, 706, 703/1867 702, 703 के संबंध में दुमस्ती कर मौजीराम साहिबसाहब एवं अन्य रजिस्ट्रार के 1 लगायत 4 के हिए, प्राप्तिगत एवं रजिस्ट्रार से छलगायत 10 के हिए का अंकन कर दुमस्ती करने का निवेदन प्रार्थी द्वारा किया गया है।</p> <p>वलसीलदार ने जबाब पेश करते हुए प्राप्ति द्वारा चारा गया अनुतोष राजस्व रिपोर्ट में यमा प्रस्तावित दुमस्ती कर देने का बका सफाई करिपोट/अकाउंट पेशवा किया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष की सहमति अनुसार प्राप्ति का धायनापत्र स्वीकार किया जा इस प्रकार प्रिति बिमा आता है कि ग्राम जमदवांस स्थित सावित्र खस 691 से बने नवीन खस 702, 703, 706, 704, 705, 703/1867 जो कि वलमान राजस्व रिपोर्ट जमाबंदी के खाला सख्तमारा 214 में अंकित है को दुमस्ती करते हुए खस 702 का गायल 706, 703/1867 में इस प्रकार दुमस्ती को जाली है मौजीराम फि.मु.सावलया जातिमाना 1/4, कदरी, क-हया कमलेशपुर गोपाल एवं रामचन्द्र, शिवमल, रामरावेर पिभनपूल हिए 2 कमलेश, रमेश, सुदेश, पि गोपाला नई धनराम धूलया फि रामदेव हिए 4 का अंकन वलमान राजस्व रिपोर्ट वलमान जमाबंदी जमदवांस खस 207-207 में किया जावे (पूर्व में अंकित खालेदाराने के नाम वदिससे में संशोधन कर)</p> <p>पत्रावली के सला सुभार हो दर्ज नसे रम ह</p>	